

अप्राची संख्या 1, 2, 14, 15, 16 की
 ही चुकी है उपस्थित नहीं। इनके लिए
 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाते
 अप्राची संख्या 3 की तामिल पेश नहीं
 वकील प्रार्थियां अप्राची संख्या 3 की तामि
 हैं। पत्रावली वाले तामिल 23/2/24




पत्रावली पेश हुई। आज अभिलेखकमय ने कार्य
 23/2/24 प्रारंभ कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 22/3/24 को पेश है। हजार

पत्रावली पेश हुई। आज अभिलेखकमय ने कार्य
 22/3/24 प्रारंभ कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 2/4/24 को पेश है। हजार

पत्रावली पेश हुई। वकील/उपस्थित हाजिर। पीठासीन अधिकारी
 2/4/24 आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 30/4/24 को पेश है। हजार

पत्रावली पेश हुई। अधि. उमयपल हाजिर।
 30/4/24 अप्राची सं. 3 की रजि. तामिल रखीर पेश की
 गई। कावजूद तामिल उपस्थित नहीं। अतः अजरा
 सं. 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।
 पत्रावली वाले निर्गम दिनांक 9/5/24 को पेश है।



पत्रावली पेश हुई। अधि. उमयपल उपस्थित।
 9/5/24 अधि अप्राची को तहसीलदार सीमा ले जाए
 पत्रावली के अनुसार रास्ता देने में कोई
 आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना- पत्र प्रार्थी को
 स्वीकार किया जा रहा है तथा ख. न.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
सुनीपना देवी बनाम

3/24

क्र.नं. 2338 में ले प्रमाण अनुसार
कामम करने के आदेश दिए जा रहे हैं निर्माण
अलग ले लिखा जाकर शाहील पत्राव
है। रिपोर्ट तहसीलदार निर्माण का
भाग रहेगा। तहसीलदार सीकर को
व्यक्ति जारी है। पत्रावली फौजदारी शुमार
होकर नम्बर ले कम है। वायिल दफ्तार
है। निर्माण भाज में हस्ताक्षर से
सुनाया गया।

४५

उपखण्ड अधिकारी- सीकर